ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/7/19	पत्रावली पेश हुई। अपीलाण्ट अधिवक्ता उप0। उतरदातागण अनु0। अपीलाण्ट ने इस आशय की अपील प्रस्तुत की है कि अपीलाण्ट व उतरदाता संख्या 2 से 5 के खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 130/27 रकबा 75 बीघा भूमि मौजा–मोगेराई, पटवार मण्डल चोचरा, तह0 शिव मे आई हुई है। अपीलाधीन भूमि अपीलाण्ट एवं उतरदाता संख्या 2 से 5 के उनके पिता कुम्भाराम से विरासत में प्राप्त हुई है लेकिन अपीलाण्ट व उतरदाता संख्या 1 के पिता कूम्भाराम के फौतगी के विरासती नामान्तरकण 338 को राजस्व कर्मचारीयो ने अपीलाण्ट को बिना सुने अपीलाण्ट के वास्तविक नाम आसूदेवी के स्थान पर उतरदाता संख्या 1 के साथ मामद दर्ज किया जो गलत होने से उक्त नामान्तरकण 338 खारिज किया जाकर उनके स्थान पर अपीलाण्ट का वास्तविक नाम आसूदेवी दर्ज किया जावे। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर उतरदातागण को जरीये सम्मन तलब किये गये। साथ तहसीलदार शिव से उक्त अपील से संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की तथा अपीलाण्ट की अपील के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबंदी, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा तहसीलदार शिव की तथात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें अपीलाण्ट का वास्तविक नाम आसूदेवी है। लिहाजा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कि जाकर मौजा–मोगेराई, पटवार मण्डल चोचरा, तह0 शिव के खसरा नम्बर 130/27 रकबा 75 बीघा भूमि में उतरदाता संख्या 1 द्वारा पारित नामान्तकरण 338 खारीज किया जाता है। साथ ही प्रकरण तहसीलदार शिव को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलाधीन आराजी के संबंध में अपीलाण्ट का सही नाम आसूदेवी पुत्री कुम्भाराम होने के संबंध में पुनः जांच करते हुए नये सिरे से नामान्तकरण पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 30.07..2019 को सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड़ अधिकारी शिव, जिला–बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 12:01:02 IST
Reason: SelfAttested